संख्या-6/2017/डी-242/38-2-2017-5डब्लू(डी)/2015टीसी-1

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2017**

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान हेतु लेखानुदान अवधि (प्रथम पांच माह) के लिए धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 48/लेखा/2017, दिनांक 25 मार्च, 2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित बजट अनुमान रू0 1000 लाख के सापेक्ष लेखानुदान अवधि (प्रथम पांच माह) के लिए धनराशि रू0 416.60 लाख (रूपये चार करोड सोलह लाख साठ हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा तथा धनराशि को बैंक खाते या पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(5) धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2017/डी-242(1)/38-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर आयुक्त, वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 नियोजन अनुभाग-3
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।